

(आ० २० नियम ६ / जा० १०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वाईजलारा श्री सी. एन. शर्मा (आ० २० ए० १०)

अनवान प्रकरण

- १. श्री भती सोसर ८० श्री कामा कीर निवासी - कीर खेडा तहसील माण्डल
- २. श्री कहीलाल ३० श्री कामा कीर _____
- ३. श्री सोहन ८० श्री कामा कीर _____
- ४. श्री जसराज ३० श्री कामा कीर _____

वाई

बनाम


- १) श्री श्री ३० कालु कीर निवासी - कीर खेडा तहसील - माण्डल
- २) श्री लालू ३० श्री रायचंड कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (३) श्री रामेश्वर ३० श्री रायचंड कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (५) श्री शोतीलाल ३० श्री रायचंड कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (६) श्री श्यामजी ३० रायचंड कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (७) श्रीमती राधा ८० श्री रायचंड कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (८) श्रीमती शोती १० श्री देवा कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (९) श्रीमती अन्ता १० श्री देवीलाल कीर निवासी - कीर खेडा तहसील
- ३) श्रीमती शोली देवी ६० श्री लालुलाल कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (१०) जगनालाल ३० श्री लालुलाल कीर निवासी - कीर खेडा तहसील (११) श्री श्यामलाल ३० लालुलाल कीर निवासी - कीर खेडा तहसील
- ४) श्रीमती माया १० श्री लालुलाल कीर निवासी - कीर खेडा तहसील - माण्डल
- ५) राज राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल प्रतिमादा

वाद अन्तर्गत धारा ५३, ४९, ९१ मुकदमा नं० २५५/१५ निर्णय दिनांक ६-६-१८
१२४/१४

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई रूपमें अदालत व डिजरी वकील वादी मिनजानिय मुददई व श्री लारेकृष्ण ब्लाई A/W/O गलामिय मुदाबला पेश हांकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि उत! आदेश दिया जाता है कि गाम गुदा परिवार हस्त सेतोपुरा तहसील माण्डल मे स्थित उतरजी नं. १५१ खवा ०५ बिस्वा, एप आरजी नं. १५२ खवा १२ बिस्वा भूमि मे उतिवादी सं. ०१ लगायत ०६ का नाम हयाया जाकर उतिवादी सं. ०१ लगायत १२ के नाम १/२ हिस्सेनुसार एव वादीगण के १/२ हिस्सेनुसार राजस्व बेकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार माण्डल राजस्व बेकार्ड मे अमल परामद करे।

खर्चा फरिडेन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख ६-६-१८ को मेरे दरखस्तार से न्यायालय की मांग पर जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा राज